

## न्यायालय अपर जिला कलक्टर सीकर

उनवान — सरकार बनाम आत्माराम

मुकदमा न. 07/17/एफएसएस एक्ट 2006 व नियम 2011

07.02.2017

पत्रावली पेश हुई खाद्यसुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी आत्माराम पुत्र रामेश्वर प्रसाद शर्मा निवासी वार्ड नं. 10 खाटूश्यामजी मैसर्स—श्रीराम किराना स्टोर खाटूश्यामजी उपस्थित। बहस सुनी गई एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी नम्बर एफ-334 वस्तु धनिया पाउडर (सियाराम) का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाखा, जयपुर की रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण मिस बॉन्ड/अमानक का पाया गया है। अप्रार्थी ने अपना जुर्म कबूल किया परन्तु अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर बताते हुये कम से कम जुर्माना लगाने का अनुरोध किया परन्तु में निर्माता कम्पनी स्वयं पार्टी है। कम्पनी के कारोबार को मध्य नजर रखते हुये खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 के तहत अप्रार्थी आत्माराम के 3000/- रुपये का जुर्माना किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जुर्माना राशि राज्यकोष में जमा करवाये वरना अप्रार्थी के विरुद्ध इस अधिनियम के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो

निर्णय सुनाया गया। 